معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی، لکھنؤ، اتر پردیش (ہندوستان)
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)
U.P. STATE GOVERNMENT UNIVERSITY
(Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of the UGC Act, 1956 & B.Tech Approved by AICTE)

Ref. 1867/REG/KMCLU/2020 Date 19-09-2020

ख़्वाजा मुईनुददीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ की कार्यपरिषद की 20वीं बैठक दिनांक 19–09–2020 को पूर्वान्ह 11:30 बजे का कार्यवृत्त।

उपस्थिति		
क्रम	अधिकारियों / शिक्षकों का नाम	पदनाम
1.	**प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा**, मा0 कुलपति / मा0 अध्यक्ष	मा0 अध्यक्ष
2.	**प्रो0 सोमेश कुमार शुक्ल** (राज्यपाल सचिवालय द्वारा नामित)	सदस्य
3.	**प्रो0 ए0 चटर्जी** (राज्यपाल सचिवालय द्वारा नामित)	सदस्य
4.	**प्रो0 बी0डी0 मिश्रा** (राज्यपाल सचिवालय द्वारा नामित)	सदस्य
5.	**प्रो0 मसऊद आलम**, विभागाध्यक्ष, अरबी विभाग।	सदस्य
6.	**प्रो0 सैय्यद हैदर अली**, विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रबन्ध विभाग।	सदस्य
7.	**प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफी**, विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग।	सदस्य
8.	**डॉ0 तनवीर खदीजा**, विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग।	सदस्य
9.	**डॉ0 सौबान सईद**, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, उर्दू विभाग।	सदस्य
10.	**डॉ0 मुशीर अहमद**, सह आचार्य, व्यवसाय प्रबन्धन विभाग।	सदस्य
11.	**डॉ0 मज़हर खालिक**, सहायक आचार्य, कम्प्यूटर साइंस विभाग।	सदस्य
12.	**डॉ0 नीरज शुक्ल**, सहायक आचार्य, वाणिज्य विभाग।	सदस्य
13.	**श्री महेन्द्र कुमार भट्ट**, वित्त अधिकारी।	वित्त अधिकारी
14.	**श्री प्रेम शंकर**, सहायक कुलसचिव / कार्यवाहक सचिव	सचिव

माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से सचिव, कार्यपरिषद द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सर्वप्रथम सचिव द्वारा कार्यपरिषद के **माननीय अध्यक्ष / माननीय कुलपति** व सभी उपस्थित सम्मानित सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया। स्वागत के उपरान्त बिन्दुवार **कार्यपरिषद की 20वीं बैठक दिनांक 19–09–2020** की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

19/9/2020

Add:- Sitapur-Hardoi Bypass Road, Lucknow -226013 U.P. (India) Contact:- 0522-2774041-45, Fax-05222774046
Website:- www.uafulucknow.ac.in, Email:- upuafulucknow@gmail.com

कार्यवाही

बिन्दु संख्या–1

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की 20वीं बैठक दिनांक 19–09–2020 की सूचना सम्बन्धी कार्यालय–ज्ञाप पर अनुमोदन।

निर्णय–

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की 20वीं बैठक दिनांक 19–09–2020 की सूचना सम्बन्धी कार्यालय–ज्ञाप पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या–2

कार्यपरिषद की 19वीं बैठक दिनांक 22–08–2020 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि/अनुमोदन।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने दिनांक 22–08–2020 को सम्पन्न हुई अपनी 19वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की सर्वसम्मति से पुष्टि की।

बिन्दु संख्या–3

कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 28–08–2020 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि/अनुमोदन।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने दिनांक 28–08–2020 को सम्पन्न हुई अपनी आकस्मिक बैठक में लिये गये निर्णयों की सर्वसम्मति से पुष्टि की।

बिन्दु संख्या–4

राजकीय विश्वविद्यालयों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई–लर्निंग रिसोर्सेज़, डिजिटल लाईब्रेरी, वीडियो लेक्चर के रिकॉर्डिंग के लिए सुसज्जित स्टूडियो अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से उ0प्र0 विश्वविद्यालय विकास संगठन सोसाइटी के गठन के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के पत्र संख्या–2758/जी0एस0 दिनांक 24–08–2020 के सम्बन्ध में विचार एवं अनुमोदन।

19/9/2020

निर्णय–

माननीय कार्यपरिषद द्वारा राजकीय विश्वविद्यालयों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई–लर्निंग रिसोर्सेज़, डिजिटल लाइब्रेरी, वीडियो लेक्चर के रिकॉर्डिंग के लिए सुसज्जित स्टूडियो, अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से उ0प्र0 विश्वविद्यालय विकास संगठन सोसाइटी के गठन के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के पत्र संख्या–2758/जी0एस0 दिनांक 24–08–2020 के सम्बन्ध में विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 विश्वविद्यालय विकास संगठन की सदस्यता हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप भरने की तत्काल कार्यवाही करने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या–5

विश्वविद्यालय में योजित विधिक सलाहकार/अधिवक्ताओं के मानदेय/विधिक सलाह फीस वृद्धि के सम्बन्ध में।

निर्णय–

इस सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार चौधरी, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के पत्र दिनांक 04 सितम्बर, 2020 द्वारा विधिक सलाह हेतु मासिक पारिश्रमिक के रूप में रूपये 10,000/– के स्थान पर रूपये 30,000/– दिये जाने का अनुरोध किया गया है, जिस पर मा0 कार्यपरिषद् द्वारा विधिक सलाह हेतु मासिक पारिश्रमिक के रूप में रूपये 20,000/– का भुगतान किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–6

CAS (CAREER ADVANCEMENT SCHEME) के अन्तर्गत साक्षात्कार हेतु विषय विशेषज्ञों को कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में उपस्थित होने में हो रही असुविधा के कारण ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से साक्षात्कार करने पर अनुमोदन।

निर्णय–

माननीय कार्यपरिषद द्वारा CAS (CAREER ADVANCEMENT SCHEME) के अन्तर्गत साक्षात्कार हेतु विषय विशेषज्ञों को कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में उपस्थित होने में हो रही असुविधा के कारण ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से साक्षात्कार करने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–7

अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत् शिक्षकों के वेतन से एन0पी0एस0 कटौती पर विचार।

निर्णय–

मा0 कार्यपरिषद् द्वारा स्ववित्तपोषित योजान्तर्गत संचालित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में कार्यरत शिक्षकों के वेतन से एन0पी0एस0 कटौती के स्थान पर शासनादेश संख्या–1/2015/602/सत्तर–4–2015–1212/2014, दिनांक 15 जुलाई, 2015 के प्रस्तर–3 के उपप्रस्तर–(6) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार यथा **"स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों हेतु सी0पी0एफ0 व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जायेगी, ऐसे संविदा शिक्षक जिस दिनांक से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उस तिथि/माह से सी0पी0एफ0 योजना लागू की जायेगी तथा प्रत्येक वर्ष सी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि की सालाना सूचना शासन को प्रेषित किया जायेगी।"** सी0पी0एफ0 कटौती किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–8

उप कुलसचिव श्रीमती अर्चना जौहरी को विश्वविद्यालय हित में कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय–

मा0 अध्यक्ष/कुलपति जी द्वारा उप कुलसचिव श्रीमती अर्चना जौहरी को विश्वविद्यालय हित में कार्यमुक्त किये जाने संबंधी प्रकरण से माननीय कार्यपरिषद को अवगत कराया गया कि श्रीमती अर्चना जौहरी द्वारा लगातार कार्यों में शिथिलता/बिना किसी पूर्व सूचना के विश्वविद्यालय परिसर में अनुपस्थित रहना तथा विश्वविद्यालय के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करना आदि की सूचना समय–समय पर शासन और राजभवन को दी जाती रही है परन्तु प्रथम बार कार्यपरिषद ने भी इस समस्या को गहराई से समझा तब ये कदम उठाया गया है और कार्यपरिषद ने उपरोक्त पर अपना सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–17(1) में उल्लेख है कि उप कुलसचिव पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही का निर्णय उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त है यह सचिव, कार्यपरिषद द्वारा अवगत कराया गया। इसी आलोक में कार्यपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश शासन से इस पर निर्णय/कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है।

19/9/2020

बिन्दु संख्या–9

वाणिज्य विभाग में चयनित डॉ0 सुप्रिया पाठक द्वारा कार्यभार ग्रहण न किए जाने सम्बन्धी पत्र दिये जाने के पश्चात प्रतिक्षारत अभ्यर्थी के चयन पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णय–

कार्यपरिषद् द्वारा वाणिज्य विभाग में चयनित अभ्यर्थी डॉ0 सुप्रिया पाठक का कार्यभार ग्रहण न किए जाने सम्बन्धी पत्र प्राप्त होने के पश्चात **प्रथम प्रतिक्षारत अभ्यर्थी** के चयन पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा तत्काल नियुक्ति पत्र निर्गत करने का भी अनुमोदन प्रदान किया गया। **प्रथम प्रतिक्षारत अभ्यर्थी का विवरण निम्नवत् है:–**

क्र0	अभ्यर्थी का नाम	चयनित पद का नाम	जाति	विभाग / विषय	वेतनमान / ग्रेड पे(रू0)
1.	1. सुश्री आफरीन फातिमा (प्रथम वेटिंग)	सहायक आचार्य	सामान्य	वाणिज्य	Rs. 15600-39100 G.P.-6000/-

बिन्दु संख्या–10

अंभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कम्प्यूटर साइंस में सुश्री अनम फातिमा के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण प्रतिक्षारत अभ्यर्थी के चयन पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णय–

कार्यपरिषद् द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित अंभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में कम्प्यूटर साइंस में **सुश्री अनम फातिमा** के कार्यभार ग्रहण न किए जाने सम्बन्धी पत्र दिये जाने के पश्चात प्रथम प्रतीक्षारत अभ्यर्थी के चयन पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा प्रथम प्रतिक्षारत अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र तत्काल निर्गत करने का भी अनुमोदन प्रदान किया गया।
प्रथम प्रतिक्षारत अभ्यर्थी का विवरण निम्नवत् है:–

क्र0	अभ्यर्थी का नाम	चयनित पद का नाम	जाति	विभाग / विषय	वेतनमान
1.	1. डॉ0 सुमन मिश्रा (प्रथम वेटिंग)	सहायक आचार्य	अनारक्षित	संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी	57700/-

बिन्दु संख्या–11

दिनांक 03–09–2020 से दिनांक 10–09–2020 (इतिहास, फारसी एवं उर्दू विभाग) तक हुये नियमित शिक्षकों के साक्षात्कार के उपरान्त चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के चयन पर अनुमोदन।

19/9/2020

خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی، لکھنؤ، اتر پردیش (ہندوستان)
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)
U.P. STATE GOVERNMENT UNIVERSITY
(Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of the UGC Act, 1956 & B.Tech Approved by AICTE)

निर्णय–

कार्य परिषद के एक सदस्य प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफी ने उर्दू की सेलेक्शन कमेटी में साक्षात्कार के दौरान जो आपत्ति उठायी थी उसको आज की बैठक में पुनः दोहराया जिसको की कार्यपरिषद के सदस्यों के समक्ष पढ़ा गया। प्रो0 अशरफी ने सहायक आचार्य के पद पर किसी भी कैंडिडेट के बारे में कोई बात न कहकर प्रक्रिया के सम्बन्ध में अपना एहतराज़ जताया, जबकि सह आचार्य के पद पर दो अभ्यर्थी डॉ0 सैय्यद जमाल शब्बीर रिज़वी एवं डॉ0 सिफतुज़ ज़हरा के बारे में अपनी अलग राय रखी लेकिन चयन समिति के अन्य सभी चारों सदस्य प्रो0 अशरफी की बात से सहमत न होते हुए चयन की बहुमत से संस्तुति की और इस तरह कार्यपरिषद द्वारा उर्दू विभाग के पदों पर चयन का निर्णय भी बहुमत से लिया गया क्योंकि कार्य परिषद का कोई भी सदस्य प्रो0 अशरफी की बात से सहमत नहीं हुआ।

अतः दिनांक 03–09–2020 से दिनांक 10–09–2020 (इतिहास, फारसी एवं उर्दू विभाग) तक हुये नियमित शिक्षकों के साक्षात्कार के उपरान्त चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के लिफाफे माननीय सदस्यों के समक्ष खोले गये, जिसके उपरान्त कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के चयन को बहुमत से अनुमोदन प्रदान करते हुये उनकी नियुक्ति की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की तथा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र तत्काल निर्गत करने का भी अनुमोदन प्रदान किया गया। चयनित अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत् है:–

क्र0	**अभ्यर्थी का नाम**	**चयनित पद का नाम**	**जाति**	**विभाग/ विषय**	**वेतनमान(रू0)**
1.	1. **डॉ0 लक्ष्मण सिंह**	सहायक आचार्य	सामान्य	इतिहास	Rs.15600-39100 GP-6000/-
	2. सुश्री मृदुला चौहान (वेटिंग) 3. श्रीमती सदफ खान (वेटिंग)				
2.	1. **डॉ0 नवरस जाट अफरीदी**	सह आचार्य	सामान्य	इतिहास	Rs.37000-67000 GP-9000/-
	2. डॉ0 सूर्या पाठक (वेटिंग) 3. डॉ0 सनोबर हैदर (वेटिंग) 4. डॉ0 लक्ष्मण सिंह (वेटिंग)				
3.	1. **डॉ0 आरिफ अब्बास**	सहायक आचार्य	सामान्य	फारसी	Rs.15600-39100 GP-6000/-
	2. डॉ0 मो0 मियॉ जैदी (वेटिंग) 3. डॉ0 आरिफ हसनैन खान (वेटिंग)				
4.	1. **डॉ0 सै0 जमाल शब्बीर रिज़वी**	सह–आचार्य	सामान्य	उर्दू	Rs.37000-67000 GP-9000/-
	2. डॉ0 सिफतुज़ ज़हरा (वेटिंग) 3. डॉ0 अब्दुल हफीज (वेटिंग)				

19/9/2020

5.	1. डॉ0 मुनव्वर हुसैन	सहायक आचार्य	सामान्य	उर्दू	Rs.15600-39100 GP-6000/-
	2. डॉ0 बुशरा खातून (वेटिंग) 3. डॉ0 तारिक कमर (वेटिंग)				
6.	1. श्री जफरून नकी	सहायक आचार्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	उर्दू	Rs.15600-39100 GP-6000/-
7.	1. श्री नीबू लाल	सहायक आचार्य	अनुसूचित	उर्दू	Rs.15600-39100 GP-6000/-

बिन्दु संख्या–12

अन्य बिन्दु मा0 कुलपति जी/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

बिन्दु संख्या–12.1

विश्वविलालय के कर्मचारियों को नियमित/मानदेय/संविदा/तदर्थ/पे–रोल पर किये जाने के सम्बन्ध में समस्त आउटसोर्सिंग कर्मचारीगण द्वारा हस्ताक्षरित पत्र दिनांकः 17 सितम्बर, 2020 पर विचार।

निर्णय–

वाहय सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा मा0 कुलपति जी को उपरोक्त से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र दिनांक 17 सितम्बर, 2020 को दिया गया। जिसे मा0 कुलपति जी के निर्देश पर डॉ0 नीरज शुक्ल द्वारा पूरा पढ़कर सुनाया गया। पत्र के अवलोकन से समस्त कार्यपरिषद के सदस्यों ने लायल टेक मैनेजमेंट सर्विसेज आउटसोर्सिंग एजेन्सी के पुनः रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर रू01180/– की धनउगाही और कर्मचारियों को धमकाने व अमानवीय व्यवहार की व्यथा सुनकर अपनी संवेदना व्यक्त की। कर्मचारियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि वे सत्यनिष्ठा के साथ विश्वविद्यालय में अपनी सेवायें दे रहे हैं, आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा समय से वेतन नहीं प्राप्त हो रहा है।

इस पर सभी सदस्यों द्वारा विचार–विमर्श करते हुए एवं पिछली बैठक का हवाला देते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में आउटसोर्सिंग एजेंसी–लॉयल टेक मैनेजमेण्ट सर्विसेज़ के अनुबन्ध को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए तथा जब तक जेम के माध्यम से टेण्डर सम्बन्धी आगामी प्रक्रिया पूर्ण न कर ली जाए, तब तक विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर से कर्मचारियों का वेतन निर्गत करने तथा टेण्डर की प्रक्रिया 15 दिन के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। टेंडर की प्रकिया पूर्ण होने के उपरांत वाहय सेवा कर्मचारियों को वेतन के रूप में दी गयी धनराशि का समायोजन नयी एजेन्सी/फर्म से किया जाए **अथवा** वित्त विभाग के मितव्ययिता लाये जाने संबंधी शासनादेश संख्या–06/2020/बी–1–218/दस–2020–231/2020 दिनांक 18.05.2020 के कम में उच्च शिक्षा विभाग/वित्त विभाग सहमत हो तो इन कर्मचारियों का वेतन भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा ही किया जाए जिससे जी0एस0टी0 एवं सर्विस चार्ज के रूप में बाहय सेवा प्रदाता एजेन्सी को देय रू0 176114=00 + 1.17 प्रतिशित सर्विस चार्ज (रू0 11447=00) अर्थात लगभग रू0 187561=00 प्रतिमाह की वित्तीय बचत भी होगी। **इस सम्बन्ध में उच्च शिक्षा विभाग वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से परामर्श भी कर सकता है।**

कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह भी संस्तुति की कि विश्वविद्यालय में कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, कुलानुशासक कार्यालयों के साथ–साथ अन्य शैक्षणिक विभागों/संकायों में कोई भी नियमित/मानदेय/संविदा/तदर्थ/पे–रोल पर कर्मचारी कार्यरत न होने के कारण कार्यालयों में होने वाले गोपनीय कार्यों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए मा0 अध्यक्ष/कुलपति द्वारा शासन और राजभवन को अलग–अलग पत्र के माध्यम से वास्तुस्थिति से अवगत कराते हुए इस समस्या के निदान हेतु इन्हीं कर्मचारियों को नियमित/मानदेय/संविदा/तदर्थ/पे–रोल पर किये जाने हेतु प्रभावी पैरवी किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति की गयी। जिससे इन कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा के साथ–साथ विश्वविद्यालय के कार्यों की गोपनियता भी बनी रहे।

बिन्दु संख्या–12.2

सहायक लेखाकार श्री शबीह हैदर को लेखाकार के पद पर पदोन्नति करने पर विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद् द्वारा श्री शबीह हैदर, सहायक लेखाकार को **लेखाकार** के पद पर पदोन्नत किये जाने के लिए पत्रावली व्यवहृत कर शीघ्र कार्यवाही के निर्देश किया गया।

बिन्दु संख्या–12.3

प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफी, विभागाध्यक्ष उर्दू विभाग को विराम अवकाश दिये जाने पर विचार।

निर्णय–

माननीय अध्यक्ष/कुलपति महोदय द्वारा प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफी के विराम अवकाश सम्बंधी प्रार्थना पत्र पर विधिवत विचार कर निर्णयोंपरान्त सूचित किये जाने की संस्तुति की गयी, जिसपर समस्त सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

अध्यक्ष महोदय एवं कार्यपरिषद के सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

19/9/2020
(प्रेम शंकर)
सहायक कुलसचिव/कार्यवाहक सचिव,
कार्यपरिषद।

19/9/2020
(प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा)
मा0 कुलपति/अध्यक्ष, कार्यपरिषद